न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-126(GCMS2024-224)

किशनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई
निवासी तालरिया, तहसील बाप
जिला फलोदी

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जीवनराम पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई
   निवासी तालरिया, तहसील बाप,
   जिला फलोदी
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप
   जिला फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 19 जून 2024 प्रकरण संख्या 18/2024 जीवनराम बनाम किशनाराम आदि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 22 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा प्रकरण संख्या 18/2024 जीवनराम बनाम किशनाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2128/2 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप तक आवागमन हेतु अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2129 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19 जून 2024 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना किये बिना एवं कानूनी प्रावधानों तथा उपलब्ध अभिलेख को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानों की पालना भी नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2024 की आदेशिका अनुसार अधिवक्ता-प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी-अपीलाण्ट की तलब हेतु रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये नोटिस की डाक रसीद प्रस्तुत किया जाना एवं अप्रार्थी-अपीलाण्ट को न्यायालय समय में रूक रूक कर आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आना अंकित करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट-अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने का कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ है और उक्त कोई नोटिस अपीलाण्ट-अप्रार्थी पर विधिवत तामील होने बाबत कोई दस्तावेज/ट्रेकिंग रिपोर्ट भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2128/2 तक आवागमन हेतु स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2136 एवं अन्य खसरा संख्या 2132 स्थित है और खसरा संख्या 2132 कटाणी मार्ग से लगता स्थित है, इस प्रकार प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2128/2 तक आवागमन का वैकल्पिक मार्ग पूर्व से ही उपलब्ध है। इसके अलावा खसरा संख्या 2128 व 2128/2 पूर्व में एक ही खेत था, जिसका प्रार्थी-रेस्पो. व उसके भाई द्वारा बंटवारा किया गया, जिससे खसरा संख्या 2128/1 प्रार्थी-रेस्पो. को प्राप्त हुआ, जिससे लगते हुए खसरा संख्या 2128 से भी वैकल्पिक रास्ता माजूद है। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा नया मार्ग अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से मात्र सुविधा के लिए मांगा गया है, जो नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हळका द्वारा मौके पर आये बिना, अपीलाण्ट को बुलाये बिना अपने कार्यालय में बैठकर ही मौका रिपोर्ट तैयार कर विचारण न्यायालय में पेश की है, जिस पर किसी मोतबिरान या खेत पडौसी के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट अभिलेख पर लिये जाने योग्य नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में तामील के अभाव में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कब, कैसे और किसके माध्यम से हुई, इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वस्तुतः तामीलकुनिन्दा के अभाव में विचारण न्यायालय में सम्मन/नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिये ही भिजवाये जाते है। इसी व्यवस्था के चलते आलौच्य मामले में भी अप्रार्थी-अपीलाण्ट की तलबी हेतु नोटिस अधिवक्ता-अप्रार्थी-रेस्पो. द्वारा दस्ती प्राप्त किये जाकर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये और पोस्टल रसीद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। मौके पर प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 219/2 तक आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा संख्या 2136 से दूरी बहुत है। अपीलाधीन निर्णय की पालना में रास्ता दर्ज होकर मौके पर रास्ता उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रभावहीन व सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2024 की आदेशिका अनुसार अधिवक्ता-प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी-अपीलाण्ट की तलब हेतु रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये नोटिस की डाक रसीद प्रस्तुत किया जाना एवं अप्रार्थी-अपीलाण्ट को न्यायालय समय में रुक रुक कर आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आना अंकित करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। जबकि अपीलाण्ट-अप्रार्थी की तलबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये जाने का कोई आदेश पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है और अप्रार्थी-अपीलाण्ट पर कोई नोटिस विधिवत तामील होने संबंधित कोई दस्तावेज/ट्रेकिग रिपोर्ट भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक की ओर से इस संबंध में जो अभिकथन तामीलकुनिन्दा के अभाव में विचारण न्यायालय में सम्मन/नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिये ही भिजवाये बाबत किया गया है, यह मान्य नहीं है क्योंकि यदि तामीलकुनिन्दा संबंधित कोई समस्या है तो उस स्थिति में आदेशिका में सम्मन/नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने का अंकन किया ही जा सकता है। मगर आलौच्य मामले में अप्रार्थी-अपीलाण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने का कोई आदेश विचारण न्यायालय में जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये जाने की कथित पोस्टल रसीद के आधार पर अपीलाण्ट-अप्रार्थी के खिलाफ सम्मन की तामील सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पायी जाती है।

अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि के प्रतिफल की राशि, जो प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा जरिये चालान जमा करायी गयी अपीलाण्ट-अप्रार्थी द्वारा स्वीकार कर प्राप्त कर लिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। अतः अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक द्वारा आलौच्य अपील प्रभावहीन हो जाने बाबत किया गया कथन भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

इसके अलावा मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 2128/1 कटाणी मार्ग से लगता हुआ है, जो प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक के भाई की खातेदारी की भूमि होने तथा उससे होकर रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की बजाय अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से रास्ते की मांग किये जाने का औचित्य नहीं होने बाबत तथा खसरा संख्या 2132 कटाणी मार्ग से लगती स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2136 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच एवं पक्षकारान की सुनवाई किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19 जून 2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट सहित उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा याचित रास्ते के साथ-साथ कटाणी मार्ग से लगते हुए खसरा संख्या 2128/1 (जो प्रार्थी-रेस्पो. एक के भाई की खातेदारी का होना जाहिर किया गया है) तथा खसरा संख्या 2132 कटाणी मार्ग से लगती स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2136 की प्रास्थिति एवं उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्ता बाबत नये सिरे से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर